

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—536 / 2006  
 संस्थित दिनांक —07.08.2006  
 फाई.क.234503000592006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

सुशीलाबाई पति रामलाल यादव, उम्र—35 वर्ष, जाति अहीर  
 साकिन—ग्राम भादा, थाना परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—04 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324, 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—06.04.2006 को सुबह 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत ग्राम भादा में फरियादी घासीराम के पुराने मकान में आहत घासीराम को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी घासीराम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—06.04.2006 को सुबह 8:00 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम भादा स्थित फरियादी घासीराम के मकान में आरोपी सुशीला ने खपरैल निकालने से मना करते हुए आहत घासीराम को कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाई और जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी घासीराम द्वारा थाना परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—13 / 06, धारा—324, 506 भाग—2 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा

आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी घासीराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा.द.वि. के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा-324 भा.द.वि. के तहत विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-06.04.2006 को सुबह 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत ग्राम भादा में फरियादी घासीराम के पुराने मकान में आहत घासीराम को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5— फरियादी घासीराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुशीला को जानता है, जो घटना के समय उनके गांव में ही रहती थी। घटना लगभग 10-11 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को मकान की बात को लेकर आरोपी सुशीलाबाई से मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिस पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका कोई ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में करवाया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनायाथा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अनुसार रिपोर्ट लिखाया जाना एवं उसके कथन प्रदर्श पी-3 के अनुसार पुलिस को बयान दिये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

6— किसन (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं फरियादी घासीराम को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— मामले के महत्वपूर्ण साक्षी आहत घासीराम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का आरोपी के द्वारा तथाकथित कुल्हाड़ी से मारने के संबंध में समर्थन नहीं किया गया है। अन्य साक्षी ने भी उक्त आरोपित अपराध के संबंध में किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार स्वयं आहत के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने एवं प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने आहत घासीराम को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट